(नियम 26)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम:– नसीराबाद

[illegible] बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा :– 88, 188 रा. काश्त. अधि. 1955

प्रकरण संख्या 11 सन् :– 18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.1.18	अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद प्रस्तुत किया वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजारी तलबी दिनांक 8.2.18 को पेश हो। [signature]	735-736 18/1/2018
8.2.18	पत्रावली वास्ते इंतजारी तलबी दिनांक 2.4.18 को पेश हो। [signature]	
2-4-18	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी को जरिये नोटिस तामील / बिना तामील [illegible] पत्रा० वास्ते इंतजारी तामील दिनांक 26-4-18 को पेश हो। [signature]	
26.4.18	पीठासीन [illegible] मुख्यालय से बाहर दौरे/अवकाश [illegible] प्रशासनिक कार्य में व्यस्त रहने के कारण पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 23.5.18 को पेश हो। आदेशानुसार [signature] रीडर न्याय आपके द्वार अभियान - 2018 लोक अदालत	
23.5.18	पत्रावली कैम्प कोर्ट [illegible] में पेश हुई। प्रतिवादी स्वयं उपस्थित। [illegible]	

[illegible] (प्रतिवादी)

Scanned by CamScanner

जवाब पेश किया जो शा. मिसल है।

वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि उक्त हवेलीनुमा की वादग्रस्त आराजी वादीगण के दादा छोटू पुत्र कान्हा के नाम दर्ज है वादीगण का उक्त आराजी पर पैतृक भूमि होने के कारण हक व अधिकार निहित है किन्तु वादीगण नाबालिग होने से प्रतिवादीगण उक्त आराजी हड़पना करने का आमादा है अतः वादग्रस्त आराजी पर 3/5 हिस्से का खातेदार वादीगण को घोषित किया जाकर प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया वादग्रस्त आराजी छोटू पि. कान्हा व अन्य काश्तकारों की खातेदारी में दर्ज है, राज. पटवार द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के अनुसार नामा. नं 348 दिनांक 5.2.18 द्वारा छोटू की विरासत नामान्तरण, हुकम, गोकुल पि. छोटू, पेमा, माधो पुत्रगण छोटू, पेमा पत्नी सुरजमल, कैलाश, प्रहलाद, कुलदीप पि. सुरजमल हर्षिता पुत्री सुरजमल के नाम दर्ज हो चुकी है वादी ने अपने वाद पत्र में छोटू का वारिसान गोकुल को ही बताया है व 3/5 हिस्से का अनुतोष चाहा है किन्तु राज. पटवार द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे अनुसार अन्य वारिसान को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है वादी द्वारा वाद अल्पतर तथ्यों पर पेश किया है

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
उक्तानुसार प्राप्त हावीपट्टी के खा.नं. 228/82 किता 46 रकबा 11.37, 227/81 किता 3 रकबा 0.36, 64/52 किता 5 रकबा 0.575, 65/50 किता 12 रकबा 1.53, 67/53 किता 5 रकबा 0.39 व ख. नं 340 रकबा 0.19 की आराजी पर वादीगण का वाद "खारिज" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें। इस आदेश की पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर देकर हो व दाखिल दफ्तर हो।	
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत केन्द्र कोर्ट	